भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2268

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

कृषि उपकरणों पर जीएसटी

2268. श्री वीरेन्द्र सिंह:

श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उपकरणों, मशीनरी, उर्वरकों, बीजों और रासायनिक कीटनाशकों से माल और सेवा कर (जीएसटी) को हटाने का है ताकि किसानों द्वारा वहन की जाने वाली उत्पादन लागत को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक प्रस्तावित किया जाएगा;

(ग) सरकार द्वारा किसानों की उपज को किस प्रकार लाभकारी बनाए जाने की संभावना है;

(घ) वर्तमान में जीएसटी के दायरे में शामिल कृषि उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त वस्तुओं पर लागू जीएसटी के उपकरण-वार प्रतिशत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) तथा (ख): जीएसटी की दरों और रियायतों को जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर अधिसूचित किया जाता है, जोकि एक संवैधानिक निकाय है जिसमें संघ और राज्य सरकारों के सदस्य शामिल होते हैं।

इस संबंध में जीएसटी परिषद से जीएसटी की दरों में परिवर्तन करने के लिए कोई भी अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपाय, सुधार, विकासपरक कार्यक्रम और योजनायें चालई हैं ताकि कृषि को और अधिक लाभकारी पेशा बनाया जा सके। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) तथा (ङ): ऐसे कृषि उपकरण जो जीएसटी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ऐसी वस्तुओं पर लागू जीएसटी की दरों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	**कृषि संबंधी उपकरण का विवरण**	**जीएसटी की दर**
1.	हाथ से संचालित या पशुचालित कृषि उपकरण अर्थात् हस्त औजार जैसे कि कुदाल, फावड़े, मटके, ग़ैती, कुदाली, कांटे और रेक; कुल्हाड़ी, बिल हुक और इसी प्रकार के काटने वाले उपकरण; किसी भी प्रकार के सेकेटर्स और प्रूनर्स; गैमेला के अलावा कृषि, बागवानी या वानिकी में उपयोग किए जाने वाले हंसिया, दरांती, सूखी घास काटने वाला चाकू, हेज कैंची, लकड़ी की कीलें और अन्य प्रकार के उपकरण	शून्य
2.	• मिट्टी को तैयार करने या जुताई करने के लिए कृषि संबंधी मशीनरी; • कटाई या थ्रेशिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर लगा हो; घास या सूखी घास काटने वाली मशीन; • यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित अंकुरण संयंत्र सहित अन्य प्रकार की कृषि संबंधी मशीनरी;	12%
3.	• फलों या अन्य कृषि संबंधी उत्पादों की सफाई, छटाई या वर्गीकरण की मशीनें; • बीज, अनाज या सूखी दालों वाली सब्जियों की सफाई, छटाई या वर्गीकरण की मशीनें;	18%

अनुबंध

सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपाय, सुधार, विकासपरक कार्यक्रम और योजनायें चालई हैं ताकि कृषि को और अधिक लाभकारी पेशा बनाया जा सके। इनमें शामिल हैः

(i) पीएम-किसान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6000 रुपये की पूरक आय का तीन बराबर किस्तों में हस्तांतरण,

(ii) सभी खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाना ताकि उत्पादन की लागत पर लाभ के मार्जिन को न्यूनतम 50 प्रतिशत सुनिश्चित किया जा सके,

(iii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल बीमा,

(iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सिंचाई तक बेहतर पहुंच,

(v) कृषि अवसरंचना कोष (एआईएफ) के माध्यम से 100,000 करोड़ रुपये से अवसंरचना के निर्माण के लिए विशेष ध्यान,

(vi) एफसीआई प्रचालनों के अतिरिक्त पीएम-आशा के अंतर्गत नई खरीद नीति,

(vii) कृषि संबंधी फसलों के अतिरिक्त दुग्ध और मत्स्य किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से उत्पादन ऋण,

(viii) 10,000 एफपीओ का निर्माण और संवर्धन,

(ix) नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेवल एग्रीकल्चर (एनएमएसए), जिसका लक्ष्य भारतीय कृषि को बदलती हुई जलवायु के लिए अधिक लचीली बनाने के लिए कार्यनीतियां तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना,

(x) कृषि में ड्रोन प्रद्योगिकियों को अपनाना जिसमें भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है,

(xi) मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नीली क्रांति, ब्याज पोषित योजना, कृषि-वानिकी, पुनर्संरचित बांस मिशन, नई पीढ़ी के विभाजक दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन इत्यादि के अंतर्गत होने वाले लाभ,

(xii) कृषि संबंधी मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों पर डिजिटल प्रद्योगिकी के अनुप्रयोग पर ध्यान देना, और

(xiii) सब्सिडी प्राप्त मूल्य पर किसानों को खाद की आपूर्ति करना ताकि इनपुट लागत को कम किया जा सके।